

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ला. 1591h..... व भू अभिलेख निरीक्षक ला. 1591h.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ला. 1591h..... पटवार हल्का ला. 1591h..... तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2023-26..... में खाता संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	ला. 1591h	336 701 140	राजपूत हीरा साठ साठ जी का खेड़ा राजपूत हीरा साठ खाल खेड़ा राजपूत हीरा	राजपूत राजेन्द्र पि. हीरा सा. डेवीकरा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
करेड़ा

दिनांक:- 18/11/2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 33

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

